सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

दिनांक - 17.06.2025

फा .सं :. NCST/ATY-2256/JH/320/2025-RO-RNC/RU-IV

सेवा मे,

1 **उपायुक्त**
जिला - पलामू
जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त कार्यालय,
नया समाहरणालय, मेदिनीनगर,
पलामू, झारखंड 822101
Email Id: dc-pal@nic.in

2 **पुलिस अधीक्षक**
जिला - पलामू
कुचेरी रोड, डाल्टेनगंज, मेदिनीनगर,,
पलामू, झारखंड 822101
Email Id: sp-pal@nic.in

विषय: अभ्यावेदक श्री गोविंद भुइयां एवं छोटू भुइयां, पिता- स्व शिव भुइयां, रेलवे क्रॉसिंग, वार्ड नं.-10, सुडाना डालटनगंज, जिला- पलामू (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "उनके खतियान की जमीन पर अवैध कब्जा तथा खतियान की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा एवं आपराधिक तत्वों की मिलीभगत से उस जमीन पर कब्जा करने" के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री गोविंद भुइयां एवं छोटू भुइयां,
पिता- स्व शिव भुइयां, रेलवे क्रॉसिंग,
वार्ड नं.-10, सुडाना डालटनगंज,
जिला- पलामू (झारखंड) - 822101,
मो-7970484055

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-2256/JH/320/2025-RO-RNC/RU-IV

श्री गोविंद भुइयां एवं छोटू भुइयां, पिता- स्व शिव भुइयां, रेलवे क्रॉसिंग, वार्ड नं.-10, सुडाना डालटनगंज, जिला- पलामू (झारखंड) के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीया सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	16.05.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री गोविंद भुइयां एवं छोटू भुइयां, पिता- स्व शिव भुइयां, रेलवे क्रॉसिंग, वार्ड नं.-10, सुडाना डालटनगंज, जिला- पलामू (झारखंड) से आयोग को शिकायत प्राप्त हुई जिसमे बताया गया की उनके पूर्वजों को जमींदारी प्रथा के तहत जीवन यापन एवं बच्चों के पालन-पोषण के लिए खाता नं.-43, प्लॉट नं.-62, रकबा 0.34 डिसमिल जमीन मिली थी। उक्त जमीन पर उनके पूर्वज काफी समय से काबिज थे तथा लगान रसीद भी कटवाते थे और उस पर खेती भी करते थे। आरोपी रामप्रताप महतो, पिता- रूपन महतो, ग्राम- सुडाना निमिया डालटनगंज ने उक्त जमीन को हड़पने की नीयत से 1966 में रुपये 40 का बंधक दिखाया, जो पांच साल के लिए था। लेकिन आरोपियों ने उक्त खाता प्लॉट की जमीन को 1971 में रजिस्ट्री करा लिया। अभ्यावेदक जब अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित जमीन को जोतने गया तो आरोपी रामलाल महतो, भोला महतो, श्यामलाल महतो, रवि महतो एवं रमेश महतो एवं उनके पत्नी एवं बच्चे जो कि कुछ आपराधिक तत्व के लोग हैं, अभ्यावेदक एवं उनकी पत्नी को भुइयां राड़ रेयान एवं जातिसूचक शब्द कहकर गाली-गलौज करने लगे तथा मारपीट करने लगे। लेकिन जब अभ्यावेदक की पत्नी ने कहा कि आपकी जमीन कौन सी है तो आरोपी एवं उसकी पत्नी एवं बच्चे कहने लगे कि जब हम आपको नंगा नाच करायेंगे तब समझ में आएगा। उन्होंने उसकी पत्नी को पकड़ कर मारपीट करने लगे तथा उसके कपड़े फाड़ दिये तथा घर को भी जला दिया। इसकी सूचना थाने को दी गई परंतु थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी का संबंध आपराधिक तत्वों से है तथा उनका कहना है कि हम गुंडे को रूपये 5,00,000 देकर आपको

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in

एवं आपके परिवार को जान से मरवा देंगे। अभ्यावेदक के पूर्वजों द्वारा उक्त जमीन का लगान रसीद भी लगातार निर्गत किया जा रहा था परंतु आरोपी ने गलत कागजात तैयार कर उसे अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिया है।

2. आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में 15 दिनों में रिपोर्ट मांगने हेतु उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- पलामू (झारखंड) को नोटिस भेजा है।

3. सम्बन्धित प्राधिकारी की ओर से वांछित जवाब प्राप्त नही होने पर तद्नुसार मामले में दिनांक 16.05.2025 को आयोग द्वारा सिटिंग तय की गई और सम्बन्धित को सिटिंग नोटिस जारी किए गए।

4. दिनांक 16.05.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान उपायुक्त, पलामू (झारखंड) व् प्रार्थी उपस्थित रहे।

मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

1. **इस विषय में जिलाधिकारी पलामू एक बार पुन जाँच कर मामले में मध्यस्थता करेंगे तथा 30 दिवस में मामले की अंतिम रिपोर्ट आयोग में प्रेषित करेंगे।**

आशा लकड़ा
12/06/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/ATY-2256/JH/320/2025-RO-RNC/RU-IV)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 16.05.2025 at 02:00 PM in the case of श्री गोविंद भुइयां एवं छोटू भुइयां, पिता- स्व शिव भुइयां, रेलवे क्रॉसिंग, वार्ड नं.-10, सुडाना डालटनगंज, जिला- पलामू (झारखंड).

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- पलामू (झारखंड)		
1.	Shashi Ranjan DC, Palamu	7294980502	[signature]
2.			
3.			
4.			
III	शिकायतकर्ता		
1.	गोविन्द कुमार	7970484055	गोविन्द कु०
2.			